न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **127/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/487

1. श्री देवीलाल पिता लालु सालवी निवासी जावड तहसील घासा।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 10.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2156/12 रकबा 0.8094 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 12, 2138/12 उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम पर अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी में आवागमन करने के लिए 30 फीट चौडा मार्ग मुख्य रास्ते से अर्थात् किस्म रास्ता आराजी नम्बर 175 के उत्तर दिशा में स्थित परिशिष्ट ब में अंकित आराजी भूमि के पश्चिमी भू भाग पर खाली पडी भूमि में सदीप से बना हुआ है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ होकर मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2156/12 के दक्षिणी सीमा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर मै प्रार्थी एवं मेरे पूर्वाधिकारी इस कृषि भूमि आराजी पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडरी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी रास्ता का मेरी जमीन पर आवागमन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:41 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि मुझ प्रार्थी के पास परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात की भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी कोई वैकल्पिक मार्ग रहा है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया हैं।

4. यह कि सदीप से मुझ प्रार्थी की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 30 फीट चौडा मार्ग मुख्य रास्ते से होकर रास्ते के उत्तरी दिशा में स्थित परिशिष्ट ब में अंकित भूमि के पश्चिमी भू भाग पर खाली पडी भूमि पर रहा है तथा वर्तमान में भी यही मार्ग है और इसी मार्ग से होकर मै प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते रहे है। इसके अलावा मुझ प्रार्थी की परिशिष्ट अ में अंकित कृषि भूमि की सीमा तक आवागमन करने के लिए मुख्य रास्ते से परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि के पश्चिमी भू भाग पर 30 फीट चौडा रास्ता रिकोर्डेड कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और इस भूमि में रिकोर्डेड मार्ग कायम किये जाने में जो भी व्यय होगा वह एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत मै प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमा/वहन करने को तैयार एवं तत्पर हैं।

5. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यहकि मुझ का मजबूत प्राइमाफैसी केस होकर सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि पर जाने आने के लिए विपक्षी की भूमि में बने हुवे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और मै प्रार्थी व मेरे पूर्वाधिकारी सदीप से इसी रास्ते से होकर इस कृषि भूमि में आवागमन करते आ रहे है और इस भूमि में नियमानुसार रिकार्डेड रास्ता कायम किये जाने से किसी भी व्यक्ति को असुविधा अथवा क्षति नहीं होगी बल्कि इस जमीन में रिकार्डेड रास्ता कायम नहीं किये जाने से इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमी अतिक्रमण करेंगे और रास्ते को भी अवरूद्व कर देंगे जिससे मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाऊंगा तथा [illegible]नियो एवं दिक्कतों का सामना करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:41 IST
Reason: SelfAttested

पडेगा और इससे मुझ प्रार्थी को अपरिमित क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना सम्भव नहीं होगा।

7. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.11.2024 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण से मेरी कृषि भूमि आराजी नम्बर 2156/12 की सीमा तक पहुंचने के लिए उक्त विपक्षी की राजकीय भूमि में 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नहीं की, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अन्त में निवेदन किया मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 2156/12 पर पहुंचने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित भूमि पर संलग्न नक्शें में चिन्हित अनुसार भू भाग पर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावे एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार मै प्रार्थी जमा/वहन करने को तैयार हैं।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता खातेदार को खातेदारी भूमि में जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता भूमि रकबा 0.1008 हेक्टेयर हैं। प्रस्तावित रास्ता (रकबा 0.1008 हेक्टेयर) आराजी नम्बर 12 में से प्रस्तावित है। जिसमें कार्यालय तहसीलदार साहब मावली के आदेश क्रमांक भू.अ./14/2009 दिनांक 10.12.2014 की पालना में 4.9614 हेक्टेयर भूमि खनन हेतु आरक्षित की गई हैं। जिसमें एम.एल–5/13 को खनन पट्टा दिया गया है एवं शेष 2.6467 हेक्टेयर किस्म मगरी भूमि हैं। उक्त खनन आरक्षित क्षेत्र के सम्बन्धित दस्तावेज एवं नक्शें इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी को आवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ता, खान आरक्षित क्षेत्र दिखाए गए नक्शें (नामान्तकरण 764) को छोड शेष मगरी भूमि में से प्रस्तावित किया गया हैं। तहसील राजस्व लेखाकार घासा रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि रकबा 0.1008 हेक्टेयर की वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर 15,40,000/– प्रति हेक्टेयर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की मूल्यांकन रिपोर्ट 1,55,232 रूपये बनती हैं। तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:41 IST
Reason: SelfAttested

मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, तहसील राजस्व लेखाकार मय वर्तमान डीएलसी की प्रति, नामान्तकरण संख्या 764 की प्रति एवं एम.एल—5/13 को से सम्बन्धित दस्तावेज मूल ही संलग्न की हैं।

10. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर पहूंचने हेतु जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वह भूमि किस्म खनन हैं तथा प्रार्थी द्वारा अतिआवश्यकता का कोई कारण भी प्रकरण में वर्णित नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 102 पर दर्ज आराजी नम्बर 2156/12 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 12 रकबा 7.6081 हेक्टेयर किस्म खनन एवं मगरी से रास्ता चाहा गया हैं जिसमें रकबा 2.6467 हेक्टेयर भूमि किस्म मगरी है एवं 4.9614 हेक्टेयर भूमि किस्म खनन है उक्त भूमि की किस्म वार पृथक—पृथक तरमीम नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि की किस्म मगरी है या खनन हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह कही भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी का केवल मात्र कथन है कि उक्त रास्ता रेकार्डेड कायम नहीं किये जाने से अतिक्रमी अतिक्रमण करेंगे एवं रास्ते को भी अवरूद्ध कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हैं। यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमण होता तो प्रार्थी निश्चय ही उसे पक्षकार बनाता। न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा भविष्य में कोई अतिक्रमण नही करे या प्रार्थी को आ[illegible] से नही रोके इसके लिए रास्ता दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:41 IST
Reason: SelfAttested

करवाना प्रतीत होता है परन्तु वर्तमान में प्रार्थी का कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नही होता है। ना ही रास्ता दिये जाने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतित होती है। प्रार्थी केवल मात्र भविष्य की सुविधा के लिए रास्ता कायम करवाना चाहता है, जो न्यायोचित नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:41 IST
Reason: SelfAttested